मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०२२

मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, २०२२

वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०२२ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये पन्द्रह हजार दो सौ बत्तीस करोड़ बीस लाख अट्ठानवे हजार चार सौ निन्यानवे होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी. **वित्तीय वर्ष २०२१-२२ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,५२,३२,२०,९८,४९९ का दिया जाना.**

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी. **विनियोग.**

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन		(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा मतदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	**रुपये**	रुपये
.	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा				
		राजस्व	०	१००	१००
००१.	सामान्य प्रशासन				
		राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
००६.	वित्त				
		राजस्व	७,४२,८३,००,०००	०	७,४२,८३,००,०००
००७.	वाणिज्यिक कर				
		राजस्व	४३,०८,००,०००	०	४३,०८,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
००८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन				
		राजस्व	०	९,८२,००,०००	९,८२,००,०००
०११.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन				
		राजस्व	४,००,००,००,०००	०	४,००,००,००,०००
०१२.	ऊर्जा				
		राजस्व	७५,९४,७०,००,०००	०	७५,९४,७०,००,०००
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
		राजस्व	२,३२,४२,८००	०	२,३२,४२,८००
०१८.	श्रम				
		राजस्व	३,७५,००,००,०००	०	३,७५,००,००,०००
०२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
		राजस्व	१४,७७,८९,०००	०	१४,७७,८९,०००
		पूंजी	२०,००,५२,३९,०००	०	२०,००,५२,३९,०००
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास				
		राजस्व	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
०२६.	संस्कृति				
		राजस्व	१,२५,००,०००	०	१,२५,००,०००
०२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)				
		राजस्व	१००	०	१००
०२९.	विधि और विधायी कार्य				
		राजस्व	०	५,४८,११,०००	५,४८,११,०००
०३०.	ग्रामीण विकास				
		राजस्व	१२,११,००,००,०००	०	१२,११,००,००,०००

(१)	(२)			(३)	
			रुपये	रुपये	रुपये
०३३.	जनजातीय कार्य				
		राजस्व	७१,६९,८०,०००	०	७१,६९,८०,०००
०३४.	सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण				
		राजस्व	१,३८,००,००,०००	०	१,३८,००,००,०००
०३५.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम				
		राजस्व	२,५८,००,००,०००	०	२,५८,००,००,०००
०३७.	पर्यटन				
		राजस्व	६,२४,७०,०००	०	६,२४,७०,०००
०३८.	आयुष				
		राजस्व	४१,३२,६६,४९९	०	४१,३२,६६,४९९
०४४.	उच्च शिक्षा				
		राजस्व	१,४९,२९,००,०००	०	१,४९,२९,००,०००
०४५.	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन				
		राजस्व	१४,४६,००,०००	०	१४,४६,००,०००
०४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.				
		राजस्व	७०,९०,००,०००	०	७०,९०,००,०००
०४९.	अनुसूचित जाति कल्याण				
		राजस्व	२,०७,००,००,०००	०	२,०७,००,००,०००
०५५.	महिला एवं बाल विकास				
		राजस्व	२,००,००,००,०००	०	२,००,००,००,०००
०५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय				
		राजस्व	९,५०,५०,००,०००	०	९,५०,००,५०,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
०६४.	पिछड़ा वर्ग कल्याण				
		राजस्व	७,०९,००,००,०००	०	७,०९,००,००,०००
	योग :	राजस्व	१,३२,१६,३८,४८,३९९	१५,३०,११,१००	१,३२,३१,६८,५९,४९९
		पूंजी	२०,००,५२,३९,०००	०	२०,००,५२,३९,०००
	वृहद योग :		१,५२,१६,९०,८७,३९९	१५,३०,११,१००	१,५२,३२,२०,९८,४९९

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ९ मार्च, २०२२.

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.